बिल का सारांश

प्रेस और पीरिऑडिकल्स पंजीकरण बिल, 2023

- प्रेस और पीरिऑडिकल्स पंजीकरण बिल, 2023 को राज्यसभा में 1 अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह प्रेस और पीरिऑडिकल्स पंजीकरण एक्ट, 1867 को निरस्त करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पीरिऑडिकल्स का पंजीकरण**: एक्ट समाचार पत्रों, पीरिऑडिकल्स और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह पुस्तकों की कैटेलॉगिंग का भी प्रावधान करता है। बिल पीरिऑडिकल्स के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी पब्लिकेशन शामिल है। पीरिऑडिकल्स में किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाएं शामिल नहीं हैं।

- एक्ट में प्रावधान है कि प्रिंटर/पब्लिशर को निर्दिष्ट करते हुए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की ओर से एक डेक्लेरेशन किया जाएगा। डीएम प्रेस रजिस्ट्रार को डेक्लेरेशन भेजता है, जो पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करता है। समाचार पत्र के पब्लिकेशन के लिए डीएम का डेक्लेरेशन और प्रमाणीकरण करना जरूरी है। बिल पीरिऑडिकल्स के पब्लिशर्स को इस बात की अनुमति देता है कि वे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट स्थानीय अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो, या जिसने राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम किया हो, उसे पीरिऑडिकल को छापने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- **विदेशी पीरिऑडिकल्स**: किसी विदेशी पीरिऑडिकल के हूबहू रीप्रोडक्शन को भारत में सिर्फ तभी प्रिंट किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाए। इन पीरिऑडिकल्स के पंजीकरण के तरीके को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- **प्रेस रजिस्ट्रार जनरल**: एक्ट केंद्र सरकार के लिए एक प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त करने का प्रावधान करता है जो समाचार पत्रों का एक रजिस्टर मेनटेन करता है। बिल में भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का प्रावधान है जो सभी पीरिऑडिकल्स के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के अन्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पीरिऑडिकल्स का एक रजिस्टर मेनटेन करना, (ii) पीरिऑडिकल्स के टाइटिल की मान्यता के लिए दिशानिर्देश बनाना, (iii) निर्दिष्ट पीरिऑडिकल्स के सर्कुलेशन के आंकड़ों की पुष्टि करना, और (iv) पंजीकरण को संशोधित, निलंबित या रद्द करना।

- **प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण**: एक्ट के अनुसार डीएम के सामने प्रिंटिंग प्रेस का डेक्लेरेशन करना जरूरी है। बिल प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

- **पंजीकरण को निरस्त और रद्द करना**: बिल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को किसी पीरिऑडिकल के पंजीकरण को न्यूनतम 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित करने की अनुमति देता है जिसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पंजीकरण निम्नलिखित के कारण निलंबित किया जा सकता है: (i) गलत जानकारी देकर पंजीकरण प्राप्त करना, (ii) पीरिऑडिकल्स को लगातार छाप न पाना, और (iii) वार्षिक विवरण में गलत विवरण देना। अगर पब्लिशर इन दोषों को ठीक नहीं करता है तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पंजीकरण रद्द कर सकता है। पंजीकरण निम्नलिखित स्थितियों में भी रद्द किया जा सकता है: (i) अगर किसी पीरिऑडिकल का टाइटिल किसी दूसरे पीरिऑडिकल के जैसा या उससे मिलता-जुलता है, (ii) मालिक/पब्लिशर को आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधि, या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम करने का दोषी ठहराया गया हो।

- **सजा और अपील**: बिल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को निम्नलिखित के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार

प्रियदर्शिनी जैन
priyadarshini@prsindia.org

3 अगस्त, 2023

देता है: (i) पंजीकरण के बिना, पीरिऑडिकल को पब्लिश करना (पांच लाख रुपए तक), (ii) निर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करना (पहली चूक पर 20,000 रुपए तक)। अगर कोई पीरिऑडिकल पंजीकरण के बिना छापा जाता है, तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उसके पब्लिकेशन को रोकने का निर्देश दे सकता है। छह महीने के भीतर इस निर्देश का पालन न करने पर छह महीने तक की कैद की सजा हो सकती है।

- कोई भी व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार करने, पंजीकरण को निलंबित/रद्द करने या जुर्माना लगाने के खिलाफ अपील कर सकता है। यह अपील 60 दिनों के भीतर प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के सामने दायर की जा सकती है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।